बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं0सं0–01/स्था0 (आरोप)–20/2023 2511 / न0वि0एवंआ0वि0, पटना दिनांक– 05/03/25

श्री संतोष कुमार रजक, बि0न0से0, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बगहा सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बाढ़ पर स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजनान्तर्गत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय के निर्माण में अपेक्षित प्रगति नहीं करने के कारण उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित किया गया था।

2. श्री संतोष कुमार रजक के विरूद्ध विहित प्रपत्र में गठित आरोप पत्र में वर्णित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 (23) (i) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3449 दिनांक–01.12.2022 द्वारा श्री मनोज कुमार, अपर सचिव को संचालन पदाधिकारी एवं श्री राजेश कुमार तिवारी, प्रशाखा पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

3. श्री मनोज कुमार, अपर सचिव–सह–संचालन पदाधिकारी के द्वारा विभागीय कार्रवाई से संबंधित अधिगम उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा तथ्यों की समीक्षा के उपरांत अपने प्रतिवेदन में अंकित किया गया कि **"SBM Portal से दिनांक–31.07.2023 तक 90 प्रतिशत के विरूद्ध 64.28 लक्ष्य प्राप्त किया गया जिसके लिए आरोपित पदाधिकारी के द्वारा अपरिहार्य कारणों का उल्लेख करते हुए साक्ष्य उपलब्ध कराया गया एवं लगन तथा निष्ठा से सरकारी आदेशों का पालन किया गया, जो इनके द्वारा समर्पित साक्ष्यों से स्पष्ट है।**

4. चूँकि संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–7494 दिनांक–07.11.2023 के द्वारा आरोपित पदाधिकारी से लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की मांग की गयी। आरोपित पदाधिकारी के द्वारा अपना लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

5. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री संतोष कुमार रजक आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन पर सम्यक विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उन्हें भविष्य के लिए अभिरूचि से कार्य निष्पादन करने का निदेश देने तथा चेतावनी संसूचित किये जाने का निर्णय लिया गया।

6. अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री संतोष कुमार रजक, बि0न0से0, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बगहा सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बाढ़ को **भविष्य के लिए अभिरूचि से कार्य निष्पादन करने का निदेश दिया जाता है तथा इसके लिए चेतावनी संसूचित की जाती है।** श्री रजक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–
(रंजन कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

d:\sec-1\notification.docx

ज्ञापांक–01/स्था0 (आरोप)–20/2023 2511 /न0वि0आ0वि0, पटना/दिनांक-05/03/25

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण/पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बगहा/श्री संतोष कुमार रजक, बि0न0से0, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बगहा सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बाढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री पंकज कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/05/3/25

सरकार के अवर सचिव।

d:\sec-1\notification.docx